



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2019/आश्विन 4, 1941

No. 304]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2019/ASVINA 4, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2019

सं. 35/2015-2020

विषय: अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करना जहां निर्यात मद सोने के पदक और सिक्के अथवा पूर्ण रूप से यंत्रिकृत प्रक्रिया के द्वारा विनिर्मित कोई आभूषण/वस्तु है।

फा. सं. 01/94/180/153/एम 20/पीसी-4.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा अग्रिम प्राधिकार पत्र, जहां निर्यात मद 'सोने के पदक और सिक्के' अथवा 'पूर्ण रूप से यंत्रिकृत प्रक्रिया के द्वारा विनिर्मित कोई आभूषण/वस्तु' है, के निर्गम की अनुमति नहीं देते हैं।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा जहां निर्यात मद 'सोने के पदक और सिक्के' अथवा 'पूर्ण रूप से यंत्रिकृत प्रक्रिया के द्वारा विनिर्मित कोई आभूषण/वस्तु' है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 26th September, 2019

No. 35/2015-2020**Subject : Issue of Advance Authorisations where export item is Gold medallions and coins or any Jewellery/Articles manufactured by fully mechanised process.**

F. No. 01/94/180/153/AM20/PC-4.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby disallows issue of Advance Authorisations where the item of export is 'Gold Medallions and Coins' or 'Any jewellery/articles manufactured by fully mechanised process'.

Effect of this Public Notice: Advance authorisation shall not be issued where item of export is 'Gold Medallions and Coins' or 'Any jewellery/articles manufactured by fully mechanised process'.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director Genl. of Foreign Trade & Ex-Officio Secy.